न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, उदयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : **दमयंती पुरोहित, RJS**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या	:	1270/2026
CNR No.	:	RJUD01–003028–2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	116–2022 थानाहिरणमगरी
अपराध अन्तर्गत धारा	:	420, 467, 468, 471, 120B IPC

राजेन्द्र पिता श्री केशुलाल आयु 59 साल निवासी मकान नंबर 8 रोड नंबर 1, सुभाष नगर, बी.एन.कॉलेज के सामने, जिला उदयपुर . . . . प्रार्थी
(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/18 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है।

– बनाम –

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, उदयपुर
. . . . विपक्षी /अभियोगी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

उपस्थिति:–
(1) श्री बजरंग सिंह राणावत, अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
(2) श्री दिनेश गुप्ता, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

– आदेश – दिनांकः 01.07.2026

इस आदेश द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

नकल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन कियागया

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.2.2022 को श्रीमती दीपिका विधि अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना हिरणमगरी को संबोधित इस आशय की पेश की कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से नगर निगम उदयपुर को हस्तांतरित योजनाओं में कुछ भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जे किए जाने की जांच नगर निगम स्तर पर महापौर द्वारा गठित समिति द्वारा की गई एवं भूखण्ड संख्या–1347–ए बी हिरणमगरी सेक्टर 5, उदयपुर, 169 सेक्टर–6, उदयपुर, 1445 हिरणमगरी सेक्टर–5, उदयपुर, 708 हिरणमगरी सेक्टर–3, उदयपुर, 103, 104, 105 रेती स्टेण्ड व्यवसायिक, 1296 हिरण मगरी सेक्टर नं.4, उदयपुर की पत्रावलियों में यह तथ्य सामने आया कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से प्राप्त मूल पत्रावलियों में कूटरचित आवंटन पत्र प्राप्त हुए जिनमें मूल राशि जमा नहीं थी परन्तु उनमें मूल राशि जमा की कूटरचित मोहर लगाकर नगर निगम उदयपुर को पत्रावलियां हस्तांतरित हुई एवं जो नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के मूल दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में नामांतरण/लीज–डीड/निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे वे प्रारंभिक रूप से जाली दस्तावेज/जाली हस्ताक्षरों द्वारा धोखाधडी से तैयार किए गए है .....वगैरा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना हिरणमगरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116/2022 अपराध अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 120–बी भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गवाहान के बयान लिये गये। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में दिगर मुलजिमान द्वारा मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम उदयपुर में आवासीय भूखण्डो की लीजडीड प्राप्त कर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती कल्पना के नाम पर दो आवासीय भूखण्डों की विक्रय राशि प्राप्त कर दोनों का पंजीयन करवाया जिसमें प्रार्थी ने बतौर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए है जिसके लिए प्रार्थी ने अनुसंधान

में सहयोग कर सत्यता से अवगत कराया फिर भी अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी को गिरफतार करने पर आमादा है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी की ओर से पेश रिट याचिका में दिनांक 8.1.2025 के आदेश द्वारा प्रार्थी की गिरफतारी पर रोक लगा दी गई जो आज तक जारी है। अग्रिम जमानत आवेदन प्रार्थी की ओर से इसलिए पेश किया गया, क्योंकि अभियुक्त दीपकसिंह चौहान के विरूद्ध चालान पेश किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्त के संबंध में धारा –173(8) दंप्रसं में अनुसंधान शेष रखा जाकर प्रार्थी को गिरफतार किये जाने का पूर्ण अंदेशा है। प्रार्थी 60 वर्षीय वृद्ध होकर अक्सर बीमार रहता है। प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है। प्रार्थी एक इज्जतदार व्यवसायी है जिसके गिरफतार होने की दशा में उसकी साख पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। आरोपित अपराध में मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी अपनी सकूनत का स्थाई निवासी है, जिसके कहीं भागने अथवा फरार होने की कोई संभावना नहीं है व न ही गवाहानों को डराने, धमकाने एवं टेम्परविथ करने की संभावना है। अंत में प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से न्यायिक दृष्टांत S.B.Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2239/2024 Dharm Singh vs State पेश किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी प्रकरण के दिगर मुलजिमान के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में सहयोगी रहा है तथा दिगर मुलजिमान को रूपयों की आवश्यकता होने पर प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये जाते तथा भूखण्ड को मार्केट में बेचने का कार्य किया जाता था तथा प्रार्थी के विरूद्ध इन्हीं धाराओं में पुलिस थाना सवीना एवं सूरजपोल में भी प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से पुलिस थाना सवीना द्वारा आरोप पत्र पेश किया जा चुका है तथा पुलिस थाना सूरजपोल का प्रकरण अनुसंधानाधीन होकर प्रार्थी की गिरफतारी शेष है। अतः प्रार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के एक प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने और एक प्रकरण में अनुसंधान जारी होने का अंकन केस डायरी में किया गया है।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा– 420, 467, 468, 471, 120B भादंसं का आरोप है।

अनुसंधान अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिगर मुलजिमान के साथ योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर नगर निगम उदयपुर के बेशकीमती सरकारी भूखण्डों को हडपकर खुर्द बुर्द कर अवैध लाभ प्राप्त करते हुए सरकार एवं उन लोगों को जिन्होंने दस्तावेजों पर विश्वास कर भूखण्डों को खरीदा को सदोष हानि पहुंचाई है जिस संबंध में प्रार्थी से अनुसंधान किया जाना बकाया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Misc (Pet.) No.185/2025 में पारित आदेश दिनांक 8.1.2025 से प्रार्थी की गिरफतारी पर रोक है। प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावी है। अतः वर्तमान में प्रार्थी को किसी प्रकार का "Apprehension of Arrest" भी नहीं है जो कि धारा 482 बीएनएसएस के प्रावधान हेतु आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमिका, समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी **राजेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

{दमयंती पुरोहित}

आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{दमयंती पुरोहित}